प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 03.10.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–:

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **43 वाहनों से कुल रू0 12,000/– शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 08 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 02.10.2019 को जनपद के थानों ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अमित कुमार सिंह पुत्र नागदेव सिंह नि0 फतेपुर थाना राघवपुर वैशाली बिहार हाल मुकाम पता माडल शाप शास्त्री नगर थाना मनकापुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 409/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रोहित पुत्र स्व0 गिरधारी नि0 वैश्य पुरवा मौजा ढोढ़ेपुर थाना तरबगंज गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–281/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. लखराम पुत्र शिवनरायन नि0 ग्राम पेडराही थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–380/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अश्लील हरकत करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। गुरूवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने अभियुक्त इंसान अहमद पुत्र खुर्शीद आलम नि0 टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को गोण्डा बलरामपुर मार्ग पर स्थित पक्के बाबा मजार पर आने जाने वाली लड़कियों को देखकर अश्लील हरकत व गाना गाने के आरोप में गिरफ्तार कर थाना इटियाथोक पर मु0अ0स0– 289/19, धारा 294 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 03.10.2019

150 ली0 चोरी के डीजल के साथ 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, ई–रिक्शा भी बरामद

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. नीरज गोस्वामी पुत्र रामशंकर नि0 महादेवा केशवपुर पहाडवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अजीज अहमद पुत्र शौकत अली नि0 महारानीगंज घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–757/19 धारा 41/411.413 भादवि व 207 एम0वी0एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 150 ली0 चोरी का डीजल।
02. 01 अदद ई–रिक्शा।

संक्षिप्त विवरण–

आगामी दुर्गपूजा/दशहरा त्यौहार को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने रात्रि गस्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग करने के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को शख्त निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 02/03.10.2019 की रात्रि में उ0नि0 विजय बहादुर सिंह चौकी इंचार्ज मिश्रौलिया मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सूरज होटल के पास रानीपुरवा मार्ग पर कुछ व्यक्ति चोरी का डीजल ई–रिक्शा में लादकर बेचने हेतु जा रहे है। मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तगणों को रोकटोक कर चेक किया गया तो उनके कब्जे से 150 ली0 डीजल बरामद हुआ पूछने पर चोरी का डीजल होने की बात स्वीकार की। अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामबालक पुत्र जगदीश नि0 केवलपुरा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–251/19, धरा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा।

संक्षिप्त विवरण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद में अवैध मादक पादर्थ की तस्करी के सम्बन्ध में रोक लगाने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 03.10.2019 को थाना मोतीगंज पुलिस ने क्षेत्रभ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रामबालक को पेड़ारन तिराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

01. व0उ0नि0 विनय कुमार यादव
02. उ0नि0 सुनील कुमार।
03. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
04. का0 कन्हैया यादव।
05. का0 राकेश यादव।